(२) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी जिन्हें आचार्य या राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत आचार्य के समकक्ष या उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर कम से कम ७ वर्ष का अनुभव हो.

(३) कुलसचिव की परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

(४) परिनियमों में अन्यथा उपबंधित कार्य परिषद् की शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए, कुलसचिव यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किए जाते हैं जिसके लिए वे मंजूर या आवंटित किए गए हैं.

(५) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित किए गए के सिवाय, समस्त संविदाएं विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी और समस्त दस्तावेज तथा अभिलेख विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा अधिप्रमाणीकृत किए जाएंगे.

(६) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष.

१८. (१) विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया संकायाध्यक्ष पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा. उसकी परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं:

परंतु कार्य परिषद् यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, कुलपति की सिफारिश पर, सह-आचार्य या उपाचार्य के पद से अनिम्न पद के किसी अध्यापक को ऐसे अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तीन वर्ष की कालावधि हेतु नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मामले में कार्य परिषद् उसे दिए जाने के लिए यथोचित भत्ते मंजूर कर सकेगी.

(३) विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी.

परीक्षा नियंत्रक तथा अन्य अधिकारी.

१९. (१) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो.

(२) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

(३) परीक्षा नियंत्रक ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों, अध्यदेशों तथा विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं अथवा उस पर अधिरोपित किए जाएं.

(४) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएगी तथा उनकी परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं.

परिशिष्ट क्रमांक 3

।।राज्यपाल।5।क 3592

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक– 18/11/2020

क्रमांक एफ 2–21/2020/1/55 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. वृंदा सक्सेना, प्रोफेसर, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर की सेवाएं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर परीक्षा नियंत्रक के पद पर आगामी आदेश तक अस्थयी रूप से सौंपी जाती है।

2/ प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जाएगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
18/11/2020
(आर.एस. वर्मा)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2–21/2020/1/55
भोपाल, दिनांक–18/11/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. आयुक्त, संभाग,इंदौर/जबलपुर, संभाग, मध्य प्रदेश।
5. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर/जबलपुर, मध्य प्रदेश।
6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश,ग्वालियर/भोपाल।
7. निज सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा विभाग,मध्य प्रदेश,भोपाल।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला इंदौर/जबलपुर, मध्य प्रदेश।
9. डॉ. वृंदा सक्सेना, प्रोफेसर, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, शास.दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश ।
10. आर्डर बुक
11.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

18/11/2020
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

उप संचालक
चिकित्सा शिक्षा